

कार्यालय प्रधान आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु, सेवाकर एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय
नव केन्द्रीय राजस्व भवन, स्टेच्यू सर्किल, सी-स्कीम, जयपुर-302005
(सूचना का अधिकार शाखा)

फा. सं. V(Tech)RTI/25/2019/ 1319

दिनांक: 09.04.2019

सेवा में,

श्री रमेश गर्ग,
आनन्द भवन, अग्रसेन नगर,
अजमेर-305001

विषय: - सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत चाही सूचना के क्रम में।

महोदय,

कृपया आपका सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत किया आवेदन पत्र(दिनांक 17.03.2019) जो कि संयुक्त आयुक्त/के.लो.सू. अधिकारी, सीजीएसटी एवम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क(जयपुर परिक्षेत्र), जयपुर द्वारा केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, सीजीएसटी व उत्पाद शुल्क, जयपुर (कार्यालय में प्राप्त दिनांक 27.03.2019) को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत स्थानांतरित किया गया था।

आपके आवेदन में आपके द्वारा चाही गयी सूचना का जवाब इस पत्र के साथ संलग्न कर आपको प्रेषित किया जा रहा है।

"यदि सूचना लेने वाले व्यक्ति को सूचना से असंतुष्टि है तो वह प्रथम अपीलीय प्राधिकरण, श्री वृज लाल मीना, संयुक्त आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु, सेवा कर एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, नव राजस्व भवन, स्टेच्यू सर्किल, सी-स्कीम, जयपुर - 302005 को इस निर्णय की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं।"

संलग्न- भौंपरी

भवदीय,

— sd —

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी,
केन्द्रीय वस्तु, सेवाकर एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,
जयपुर।

प्रतिलिपि:-

1. The Web Master/Additional Commissioner, CGST Commissionerate, Jaipur for uploading on the Zonal Website.
2. The Joint Commissioner/CPIO, CGST & CE (Jaipur Zone), Jaipur in reference to letter F. No. CCO(J.Z.)/RTI/166/RG/2018-19/2899 dated 27.03.2019.



केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी,
केन्द्रीय वस्तु, सेवाकर एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,
जयपुर।